खण्ड-414, अंक-1
बुधवार, 12 माघ, शक संवत् 1916
(1 फरवरी, 1995 ई0)

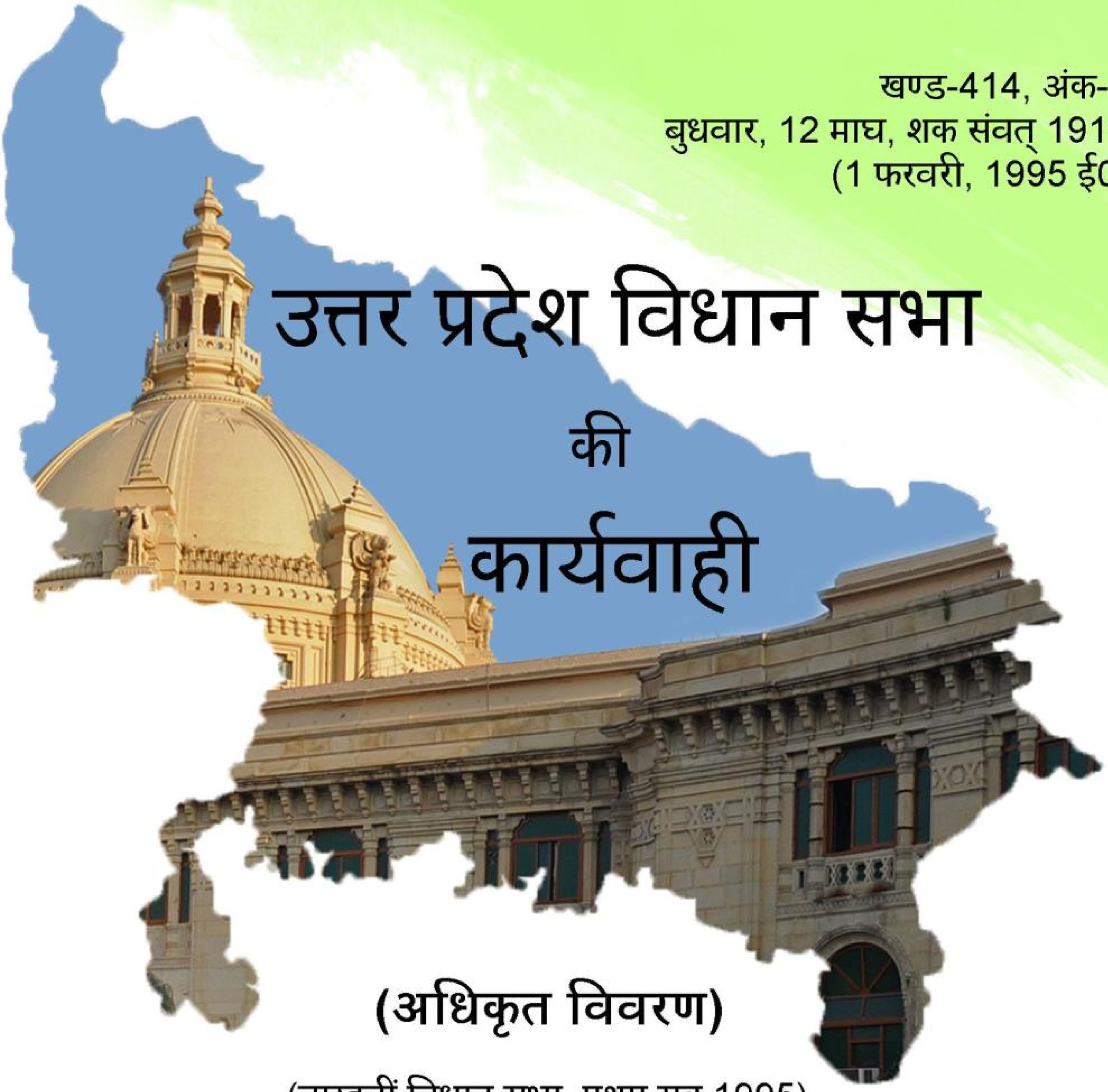

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1995)

खण्ड 414 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1995

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची	क-छ
श्री राज्यपाल, मंत्रि-परिषद्, नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल	झ-ञ
उपस्थित सदस्य	ठ-ढ
राष्ट्रीय गीत	1
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	1
श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ ..	2-16
सरकार के अल्पमत में हो जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	17-18
आज की कार्यसूची में सम्मिलित किये गये मदों पर आपत्ति ..	18-19
सरकार के अल्पमत में हो जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न ..	19
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	19
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	19-20
उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया) ..	20
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश सुख साधन कर (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	20
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)..	21
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	21
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 (पटल पर रखा गया)	22
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया)	22
दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया)	22-23
बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया) ..	23
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया)	23
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया)	23
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1995 (पटल पर रखा गया)	23-24
वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (पटल पर रखी गयीं) ..	24
उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994 (पटल पर रखी गयी)	24
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (पटल पर रखा गया)	25
उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 (विधान परिषद् से वापस न होने की सूचना)	25

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	25
उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	26
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	26
उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	26
उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	26
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	27
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	27
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	27
उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	27-28
रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 (अधिनियमित होने की सूचना)	28
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	28-29
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरः स्थापित)	30
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित)	30
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित)	30-31
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 (पुरःस्थापित)	31
उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की कमी होने तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न) ..	31-33

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों की सूची

1-अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
2-अकबर अली, श्री — जालौन
3-अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
4-अखलाख, श्री — मेरठ
5-अखिलेश, श्री — महराजगंज
6-अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
7-अछैयवर भारती, श्री — मऊ
8-अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
9-अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
10-अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
11-अनिल कुमार, श्री — सीतापुर
12-अफजाल अन्सारी, श्री — गाजीपुर
13-अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
14-अमरनाथ यादव, श्री — वाराणसी
15-अमर सिंह, श्री — अलीगढ़
16-अमर सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
17-अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
18-अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
19-अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
20-अम्बिका सिंह श्री — देवरिया
21-अ0 रईस, श्री — सुल्तानपुर
22-अरविन्द कुमार, श्री — ललितपुर
23-अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
24-अरिमर्दन सिंह, श्री — हमीरपुर
25-अवधपाल सिंह यादव, श्री — एटा
26-अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
27-अवनीश कुमार सिंह, श्री — बदायूं
28-अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
29-अशोक कुमार सिंह चौधरी बेबी, श्री — उन्नाव
30-अशोक बाजपेई, श्री — हरदोई
31-आनन्द यादव, श्री — देवरिया
32-आर0के0चौधरी, श्री — इलाहाबाद
33-इन्द्रदेव सिंह, श्री — बिजनौर
34-इन्द्रपाल सिंह, श्री — इटावा
35-इन्द्र भद्र सिंह, श्री — सुल्तानपुर
36-इरशाद, श्री — आजमगढ़
37-इश्तियाक अंसारी, श्री — गाजीपुर
38-इश्तियाक अहमद, श्री — बाराबंकी
39-उदय प्रकाश, श्री — हमीरपुर
40-उदयभान सिंह, श्री — आगरा
41-उपदेश सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
42-उमाकान्त यादव, श्री — जौनपुर
43-उमाशंकर यादव, श्री — जौनपुर
44-उर्मिला देवी यादव, श्रीमती — मैनपुरी
45-उर्मिला राजपूत, श्रीमती — फर्रुखाबाद
46-ऊदल, श्री — वाराणसी
47-ऊषा यादव, श्रीमती — एटा
48-ओंकार सिंह, श्री — एटा
49-ओम प्रकाश, श्री — गाजीपुर
50-ओम प्रकाश, श्री — गोरखपुर
51-ओम प्रकाश गुप्ता, श्री — सीतापुर
52-ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
53-करन सिंह, श्री — मुरादाबाद
54-कल्याण सिंह, श्री — अलीगढ़
55-कामेश्वर उपाध्याय, श्री — देवरिया
56-काशी सिंह ऐरी, श्री — पिथौरागढ़
57-किरन पाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
58-किशन लाल, श्री — पीलीभीत
59-किशन लाल दिलेर, श्री — अलीगढ़
60-कृष्ण कुमार नवमान, श्री — अलीगढ़
61-कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री — गाजियाबाद
62-केदार सिंह फोनिया, श्री — चमोली
63-केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
64-कोकब हमीद खां, श्री — मेरठ

65-गजराज सिंह, श्री गाजियाबाद
66-गजाधर सिंह, श्री रायबरेली
67-गनपति सिंह, श्री महराजगंज
68-गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
69-गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री रायबरेली
70-गोपाल काली, श्री मेरठ
71-गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री अल्मोड़ा
72-गौरी शंकर एडवोकेट लखनऊ
73-घनश्याम शुक्ल, श्री गोण्डा
74-घूरा राम, श्री बलिया
75-चन्द्र किशोर, श्री महराजगंज
76-चन्द्र भान मौर्य, श्री आगरा
77-चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री फर्रुखाबाद
78-चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री बहराइच
79-चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री मुरादाबाद
80-चन्द्र शेखर, श्री गाजीपुर
81-चन्द्र शेखर, श्री बस्ती
82-चरन सिंह, श्री मेरठ
83-चेतराम, श्री शाहजहांपुर
84-चैनसुख भारती, श्री जालौन
85-छब्बू पटेल, श्री वाराणसी
86-छोटे लाल, श्री हरदोई
87-छोटे लाल यादव, श्री बाराबंकी
88-छोटे लाल वर्मा, श्री आगरा
89-जगत सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
90-जगदम्बा, श्री बस्ती
91-जगदम्बिका पाल, श्री बस्ती
92-जगदीश मुनि, श्री हरिद्वार
93-जगन्नाथ प्रसाद, श्री खीरी
94-जगरनाथ चौधरी, श्री जौनपुर
95-जगराम सिंह, श्री कानपुर नगर
96-जगवीर सिंह, श्री अलीगढ़
97-जदुरानी, श्रीमती हरदोई
98-जमुना मिश्र, श्री सुल्तानपुर
99-जयपाल सिंह, श्री मेरठ
100-जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
101-जयराम कुशवाहा, श्री गाजीपुर
102-जयवीर सिंह भदौरिया, श्री इटावा
103-जवाहर यादव उर्फ पंडित, श्री इलाहाबाद
104-जवाहर लाल दिवाकर, श्री इलाहाबाद
105-जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री गोरखपुर
106-जुगेन्द्र सिंह, श्री बदायूं
107-जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
108-ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
109-ज्वाला प्रसाद यादव, श्री जौनपुर
110-तिलकराज बेहड़, श्री नैनीताल
111-तीरथराज, श्री सोनभद्र
112-तुलसीदास राय चन्दानी, श्री गोण्डा
113-तुलाराम सैनी, श्री मुरादाबाद
114-तेजपाल सिंह, श्री बिजनौर
115-तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
116-तेजपाल सिंह पंवार, श्री हरिद्वार
117-तेजभान सिंह श्री, सुल्तानपुर
118-त्रिपाल सिंह धामा, श्री मेरठ
119-दया सिन्धु शंखधर, श्री बदायूं
120-दरोगा, श्री आजमगढ़
121-दल बहादुर कोरी, श्री रायबरेली
122-दिलीप कुमार वर्मा, श्री बहराइच
123-दीनानाथ चौधरी, श्री बलिया
124-दीनानाथ भास्कर, श्री वाराणसी
125-देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री ललितपुर
126-दौलतराम, श्री सीतापुर
127-धनराज यादव, श्री सिद्धार्थनगर
128-धनीराम वर्मा, श्री इटावा
129-धर्मपाल यादव उर्फ डी0पी0यादव, श्री बुलन्दशहर

130-धामू राम भास्कर, श्री फैजाबाद
131-धीरेन्द्र बहादुर सिंह, कुंवर खीरी
132-धू राम चौधरी, श्री हमीरपुर
133-नजमउद्दीन, श्री इलाहाबाद
134-नन्द किशोर मिश्रा, श्री देवरिया
135-नन्द लाल, श्री सुल्तानपुर
136-नन्द लाल सिंह पटेल, एडवोकेट इलाहाबाद
137-नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री इलाहाबाद
138-नरेन्द्र सिंह, श्री मेरठ
139-नरेन्द्र सिंह, श्री मैनपुरी
140-नरेन्द्र सिंह, श्री सीतापुर
141-नरेन्द्र सिंह चौधरी,श्री कानपुर देहात
142-नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री गाजियाबाद
143-नरेश अग्रवाल, श्री हरदोई
144-नवल किशोर, श्री बुलन्दशहर
145-नसीम, श्री मऊ
146-नसीरुद्दीन, श्री फिरोजाबाद
147-निरवेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री खीरी
148-निर्भयपाल शर्मा, श्री सहारनपुर
149-नीरज चतुर्वेदी, श्री कानपुर नगर
150-परमानन्द दण्डी, स्वामी रामपुर
151-परशुराम, श्री फैजाबाद
152-पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
153-पीतम सिंह, श्री एटा
154-पुत्तू सिंह यादव, श्री शाहजहांपुर
155-पूर्णमासी देहाती, श्री देवरिया
156-पृथ्वी सिंह विकसित, श्री हरिद्वार
157-प्रणतपाल सिंह, श्री मथुरा
158-प्रताप सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
159-प्रभा रावत, श्रीमती गोरखपुर
160-प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
161-प्रवीण सिंह ऐरन, श्री बरेली
162-प्रीतम सिंह, श्री देहरादून
163-प्रीतम सिंह, श्री मुरादाबाद
164-प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री सिद्धार्थनगर
165-प्रेमलता कांटियार, श्रीमती कानपुर नगर
166-प्रेम सिंह, श्री गाजियाबाद
167-फजलुर्रहमान अंसारी, श्री बहराइच
168-फ्रेन्सिस डब्लू0 मूर, श्री नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय
169-फौजदार प्रसाद, श्री मऊ
170-बंशीधर, श्री नैनीताल
171-बचनू राम पटेल, श्री वाराणसी
172-बची सिंह रावत, श्री अल्मोड़ा
173-बच्चा पाठक, श्री बलिया
174-बदन सिंह, श्री आगरा
175-बनवारी लाल दोहरे, श्री फर्रुखाबाद
176-बनवारी सिंह, श्री बदायूं
177-बरकत अली खां, श्री सुल्तानपुर
178-बी0आर0वर्मा, श्री आजमगढ़
179-बरफिया लाल जुवांठा, श्री उत्तरकाशी
180-बलराम यादव, श्री आजमगढ़
181-बशीरउद्दीन, श्री हमीरपुर
182-बाबू खां, श्री हरदोई
183-बाबूराम यादव, श्री मैनपुरी
184-बाबूराम वर्मा, श्री बस्ती
185-बाबू लाल, श्री उन्नाव
186-बाल गोविन्द राजवंशी, श्री सीतापुर
187-बालचन्द्र मिश्र, श्री कानपुर नगर
188-बालेश्वर त्यागी, श्री गाजियाबाद
189-बालेश्वर यादव, श्री देवरिया
190-बिहारी लाल आर्य, श्री झांसी
191-बी0के0 गुप्ता, श्री पीलीभीत
192-बेचन राम, श्री गोरखपुर
193-बेनी प्रसाद वर्मा, श्री बाराबंकी
194-बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
195-ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
196-ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया

197-भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
198-भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री लखनऊ
199-भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुरदेहात
200-भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
201-भागवत पाल, श्री मिर्जापुर
202-भैरो प्रसाद मिश्र, श्री बांदा
203-मंजूर अहमद, श्री बरेली
204-मण्डलेश्वर सिंह, श्री आगरा
205-मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
206-मदन भइया, श्री मेरठ
207-मनव्वर हसन, श्री मुजफ्फरनगर
208-मन्नू लाल कुरील, श्री बांदा
209-मयंकर सिंह, श्री बहराइच
210-मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
211-मसूद अहमद, डा0 फैजाबाद
212-महबूब अली, श्री मुरादाबाद
213-महराज सिंह यादव, इटैली, श्री इटावा
214-महाबीर सिंह, श्री बिजनौर
215-महाबीर सिंह, कुंवर हरदोई
216-महिपाल सिंह यादव, श्री बरेली
217-महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री आगरा
218-महेन्द्र पाल सिंह, श्री बिजनौर
219-महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री फतेहपुर
220-महेन्द्र सिंह माहरा, श्री (महू भाई) पिथौरागढ़
221-महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
222-मातवर सिंह कण्डारी, श्री टिहरी गढ़वाल
223-माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा0 सहारनपुर
224-माया शंकर पाठक, श्री वाराणसी
225-मारकण्डेय सिंह, श्री बलिया
226-मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
227-मीर मजहर अली उर्फ नन्हे मियां, श्री बदायूं
228-मुक्तिनाथ, श्री देवरिया
229-मुख्तार अनीस, श्री सीतापुर
230-मुनीश गौड़, श्री अलीगढ़
231-मुरलीधर, श्री फतेहपुर
232-मुलायम सिंह यादव, श्री फिरोजाबाद
233-मेवा लाल बागी, श्री वाराणसी
234-मोलई, श्री गोरखपुर
235-मोहम्मद अरशद खान, श्री जौनपुर
236-मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
237-मोहर सिंह, श्री सहारनपुर
238-मोहसिन, डा0 गोरखपुर
239-यशपाल आर्य, श्री नैनीताल
240-यशपाल चौधरी, श्री खीरी
241-यशपाल सिंह चौधरी, श्री सहारनपुर
242-योगेन्द्र कुमार सागर, श्री बदायूं
243-रंगनाथ, श्री वाराणसी
244-रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भइया, कुंवर प्रतापगढ़
245-रघुवीर सिंह, श्री एटा
246-रणजीत सिंह जूदेव, श्री झांसी
247-रणधीर सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
248-रतन लाल अहिरवार, श्री झांसी
249-रतन पाल पंवार, श्री मुजफ्फरनगर
250-रमाकान्ति यादव, श्री आजमगढ़
251-रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री देवरिया
252-रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
253-रमेश कान्त लवानियां, श्री आगरा
254-रमेश चन्द्र चंचल, श्री फिरोजाबाद
255-रमेश पोखरियाल 'निशंक', श्री गढ़वाल
256-रमेश बहादुर, श्री प्रतापगढ़
257-रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर मेरठ
258-रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
259-रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री देवरिया
260-रवीन्द्र शुक्ल, श्री झांसी

261-राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
262-राकेश सोनकर, श्री कानपुर नगर
263-राजकुमार शिवहरे, श्री बांदा
264-राजवली जैसल, श्री इलाहाबाद
265-राजबली यादव, श्री आजमगढ़
266-राजबहादुर, श्री गाजीपुर
267-राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती बाराबंकी
268-राजबीर सिंह, श्री अलीगढ़
269-राजा राम त्यागी, श्री रायबरेली
270-राजीव कुमार, श्री नैनीताल
271-राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
272-राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री सीतापुर
273-राजेन्द्र प्रसाद, श्री लखनऊ
274-राजेन्द्र सिंह, श्री देहरादून
275-राजेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
276-राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
277-राजेश कुमार यादव, श्री बदायूं
278-राजेश कुमार, श्री वाराणसी
279-राधेश्याम, श्री बाराबंकी
280-राधेश्याम गुप्त, श्री फतेहपुर
281-रानी देव लता, श्रीमती सहारनपुर
282-राम अचल राजभर, श्री फैजाबाद
283-राम अधार यादव, श्री महराजगंज
284-राम आसरे वर्मा, श्री हरदोई
285-राम औतार मिश्रा, श्री शाहजहांपुर
286-राम करन आर्य, श्री बस्ती
287-राम किशोर बिन्द, श्री वाराणसी
288-राम कुमार वर्मा, श्री खीरी
289-राम कुमार शुक्ल, श्री लखनऊ
290-राम कृष्ण वर्मा, इन्जी0 मेरठ
291-राम खेलावन, श्री उन्नाव
292-राम गोपाल, श्री खीरी
293-रामजीत भारद्वाज, श्री वाराणसी
294-राम तेज, श्री बहराइच
295-रामदर्शन यादव, श्री आजमगढ़
296-राम दवर, श्री जौनपुर
297-रामदास पाल, श्री कानपुर देहात
298-राम देव पटेल, श्री फैजाबाद
299-रामधनी, श्री गाजीपुर
300-राम नरेश यादव, श्री रायबरेली
301-रामपाल सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
302-राम प्रकाश, श्री बस्ती
303-राम प्रकाश गुप्त, श्री लखनऊ
304-राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री फर्रुखाबाद
305-राम प्रताप सिंह, श्री गोण्डा
306-राम प्रसाद टम्टा, श्री अल्मोड़ा
307-राम प्रसाद, श्री बुलन्दशहर
308-राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
309-राम बाबू हरित, डा0 आगरा
310-राममूर्ति सिंह, श्री शाहजहांपुर
311-रामलखन यादव, श्री प्रतापगढ़
312-राम लखन वर्मा, श्री फैजाबाद
313-रामलोटन सिंह पटेल, इंजी0 मिर्जापुर
314-राम विशुन आजाद, श्री गोण्डा
315-रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
316-राम सजीवन निर्मल, श्री इलाहाबाद
317-राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
318-राम सिंह, श्री बुलन्दशहर
319-राम सेवक सिंह, श्री इलाहाबाद
320-राम सेवक सिंह, श्री बदायूं
321-राम स्वरूप, श्री एटा
322-राम स्वरूप शर्मा, स्वामी मथुरा
323-राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
324-रामेश्वर दयाल, श्री मैनपुरी
325-रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री गोण्डा

326-रेखा छागला, श्रीमती इटावा
327-लक्ष्मी चन्द्र, श्री बुलन्दशहर
328-लक्ष्मी नारायण पाण्डेय उर्फ गुरू जी, श्री प्रतापगढ़
329-लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
330-लाज कृष्ण गांधी, श्री सहारनपुर
331-लालजी, श्री वाराणसी
332-लालजी यादव उर्फ जोगी, श्री जौनपुर
333-लाल बहादुर सिंह, श्री प्रतापगढ़
334-लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
335-वकार अहमद शाह, श्री बहराइच
336-वासुदेव सिंह, श्री बुलन्दशहर
337-विक्रमा सिंह, श्री बलिया
338-विजय सिंह, श्री सोनभद्र
339-विजेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
340-विनय कुमार पाण्डेय उर्फ विन्नू, श्री गोण्डा
341-विश्राम सिंह यादव, श्री हरदोई
342-विश्वनाथ, श्री देवरिया
343-विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री गोण्डा
344-विश्वम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
445-विशम्भर सिंह, श्री मथुरा
346-वीर अभिमन्यू सिंह, श्री फतेहपुर
347-वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
348-वीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मुन्ना, श्री शाहजहांपुर
349-वीरेन्द्र मोहन सिंह, श्री पीलीभीत
350-वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
351-शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
352-शराफत यार खां, श्री बरेली
353-शशिबाला पुण्डीर, श्रीमती सहारनपुर
354-शशि बाला भारती, श्रीमती खीरी
355-शाकिर, श्री देवरिया
356-शारदा नन्द अंचल, श्री बलिया
357-शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री महराजगंज
358-शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
359-शिव दानी, श्री इलाहाबाद
360-शिव प्रताप यादव, डा0 गोण्डा
361-शिव प्रताप शुक्ल, श्री गोरखपुर
362-शिव बहादुर सक्सेना, श्री रामपुर
363-शिव राम सिंह कुशवाहा, श्री जालौन
364-शिव सागर लाल, डा0 उन्नाव
365-शिवेन्द्र, श्री महराजगंज
366-शूरवीर सिंह सजवाण, श्री टिहरी गढ़वाल
367-श्याम किशोर यादव, श्री लखनऊ
368-श्याम देव राय चौधरी,(दादा) वाराणसी
369-श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
370-श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
371-श्रीराम पाल, श्री जालौन
372-श्रीराम, श्री मिर्जापुर
373-श्रीराम यादव, श्री जौनपुर
374-संग्राम सिंह यादव, श्री बलिया
375-संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
376-सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री एटा
377-सतीश कुमार, श्री बिजनौर
378-सतीश भाटिया, श्री लखनऊ
379-सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
380-सत्य प्रकाश, श्री मुरादाबाद
381-सत्य प्रकाश विकल, श्री आगरा
382-सत्येन्द्र सिंह, श्री मुरादाबाद
383-सन्त बक्श सिंह रावत, श्री लखनऊ
384-सफदर रजा खां, श्री सुल्तानपुर
385-समई, श्री आजमगढ़
386-समर पाल, श्री मुरादाबाद
387-समीर भाटी, श्री गाजियाबाद
388-सरजीत सिंह डंग, डा0 मिर्जापुर
389-सर्वराज सिंह, कुंवर बरेली
390-सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री मुरादाबाद
391-सावित्री देवी, श्रीमती जौनपुर

392-सियाराम सागर, डा0 बरेली
393-सुखदेव, श्री आजमगढ़
394-सुखदेवी, श्रीमती इटावा
395-सुधीर कुमार बालियान, श्री मुजफ्फरनगर
396-सुन्दर पाल सिंह, श्री सीतापुर
397-सुन्दर लाल दीक्षित, श्री बाराबंकी
398-सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
399-सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री बांदा
400-सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री गढ़वाल
401-सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
402-सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री मुजफ्फरनगर
403-सुरेश पासी, श्री प्रतापगढ़
404-सुरेश प्रताप सिंह, श्री मुरादाबाद
405-सुरेश संगल, श्री मुजफ्फरनगर
406-सुशीला सरोज, श्रीमती हरदोई
407-सूरज सिंह शाक्य, श्री एटा
408-स्वयंबर चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
409-स्वामी नाथ, श्री देवरिया
410-हरक सिंह रावत, श्री गढ़वाल
411-हरदेव सिंह, श्री बाराबंकी
412-हरपाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
413-हरवंश कपूर, श्री देहरादून
414-हरिशंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
415-हरी किशन श्रीवास्तव, श्री कानपुर देहात
416-हरी शंकर माहौर, श्री अलीगढ़
417-हरीश कुमार गंगवार, श्री बरेली
418-हरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
419-हरेन्द्र सिंह, ज्ञानी रामपुर
420-हाजी मोहम्मद हयात, श्री मुरादाबाद
421-हीरा मनि पटेल, श्री इलाहाबाद
422-हृदय नारायण, श्री उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राज्यपाल

श्री मोती लाल बोरा

मंत्रि-परिषद्

1-श्री मुलायम सिंह यादव मुख्य मंत्री	सामान्य प्रशासन, गृह, गोपन, ऊर्जा, सूचना, निर्वाचन, वित्त, संस्थागत वित्त, सार्वजनिक उद्यम, आवास, न्याय, विधायिका, गन्ना विकास, चीनी मिलें, उद्योग, सिंचाई आबकारी, पर्यटन, पर्यावरण, श्रम, कृषि, उत्तराखण्ड विकास, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, नियोजन, खाद्य, दुग्ध विकास, राज्य सम्पत्ति, उद्यान, युवा कल्याण, राष्ट्रीय एकीकरण, इलेक्ट्रानिक्स ।
2-श्री बेनी प्रसाद वर्मा	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य ।
3-श्री मोहम्मद आजम खां	सहकारिता तथा मुस्लिम वक्फ ।
4-श्री राज बहादुर	समाज कल्याण ।
5-श्री राम लखन वर्मा	पंचायती राज ।
6-श्री रमा शंकर कौशिक	नगर विकास ।
7-श्री भगवती सिंह	वन ।
8-श्री बलराम यादव	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा ।
9-श्री बाबूराम यादव	राजस्व ।
10-श्री अवधेश प्रसाद	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन ।
11-श्री आर0 के0 चौधरी	परिवहन ।
12-श्री शाकिर अली	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा ।
13-श्री श्रीराम यादव	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास ।

राज्य मंत्री

1-श्री शारदानन्द अंचल	पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य ।
2-श्री रामधनी	सहकारिता ।
3-श्री दीनानाथ भास्कर	ग्राम्य विकास तथा क्षेत्रीय विकास ।
4-श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा	कारागार, होमगार्ड्स तथा राजनैतिक पेंशन ।
5-श्री श्रीराम पाल	समाज कल्याण ।
6-श्री सन्त बक्श सिंह रावत	नगर विकास ।
7-श्री सुन्दर सिंह बघेल	वन ।
8-श्री सुखराम सिंह यादव	लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य ।
9-श्री अशोक कुमार सिंह बेबी	स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा ।
10-श्री सुखदेव राजभर	माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा ।
11-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद	राजस्व ।

उप मंत्री

1-श्री राम किशोर विन्द	परिवहन ।
2-श्री लालजी चौहान	पंचायती राज ।

नेता विरोधी दल

श्री कल्याण सिंह	भारतीय जनता पार्टी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के पदाधिकारी तथा अधिष्ठाता मण्डल

अध्यक्ष

श्री धनीराम वर्मा

उपाध्यक्ष

रिक्त

अधिष्ठाता मण्डल

1-श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
2-श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा (वाराणसी),
3-श्रीमती रेखा छागला, सदस्य, विधान सभा (इटावा),
4-श्री नन्द लाल सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा (इलाहाबाद),
5-श्री रतनपाल पंवार, सदस्य, विधान सभा (मुजफ्फरनगर),
6-श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य, विधान सभा (सीतापुर),
7-श्री जय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा (सिद्धार्थनगर),
8-श्री नरेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
9-श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा (हरदोई),
10-श्री अखिलेश, सदस्य, विधान सभा (महराजगंज) ।

सचिव

श्री प्रेम चन्द्र सक्सेना ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 फरवरी, 1995

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :-

अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमरनाथ यादव, श्री	वाराणसी
अमर सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अम्बिका सिंह श्री	देवरिया
अरविन्द्र कुमार, श्री	ललितपुर
अरविन्द प्रताप सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं
इन्द्रदेव सिंह, श्री	बिजनौर
उदयभान सिंह, श्री	आगरा
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद
ओंकार सिंह, श्री	एटा
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
किशन लाल, श्री	पीलीभीत
किशन लाल दिलेर, श्री	अलीगढ़
कृष्णवीर सिंह सिरोही, श्री	गाजियाबाद
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गिरीश नारायण पाण्डेय, श्री	रायबरेली
गोपाल काली, श्री	मेरठ
घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री	फर्रुखाबाद
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	बहराइच
चन्द्र विजय सिंह उर्फ बेबी राजा, श्री	मुरादाबाद
चन्द्र शेखर, श्री	बस्ती
चेतराम, श्री	शाहजहांपुर
छब्बू पटेल, श्री	वाराणसी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जगत सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जगदम्बा, श्री	बस्ती
जगदीश मुनि, श्री	हरिद्वार
जगन्नाथ प्रसाद, श्री	खीरी
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जयं प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भइया, श्री	गोरखपुर
ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी
तिलकराज बेहड़, श्री	नैनीताल
तीरथराज, श्री	सोनभद्र
तुलाराम सैनी, श्री	मुरादाबाद
तेजपाल सिंह पंवार, श्री	हरिद्वार
तेजभान सिंह श्री,	सुल्तानपुर
त्रिपाल सिंह धामा, श्री	मेरठ
दया सिन्धु शंखधर, श्री	बदायूं
दल बहादुर कोरी, श्री	रायबरेली
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नन्द किशोर मिश्रा, श्री	देवरिया

नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह चौधरी, श्री	कानपुर देहात
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवल किशोर, श्री	बुलन्दशहर
निर्भयपाल शर्मा, श्री	सहारनपुर
नीरज चतुर्वेदी, श्री	कानपुर नगर
परमानन्द दण्डी, स्वामी	रामपुर
पीतम सिंह, श्री	एटा
पृथ्वी सिंह विकसित, श्री	हरिद्वार
प्रणतपाल सिंह, श्री	मथुरा
प्रीतम सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
बंशीधर, श्री	नैनीताल
बचनू राम पटेल, श्री	वाराणसी
बची सिंह रावत, श्री	अल्मोड़ा
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बाबू लाल, श्री	उन्नाव
बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
बी0 के0 गुप्ता, श्री	पीलीभीत
बेचन राम, श्री	गोरखपुर
बैजनाथ रावत, श्री	बाराबंकी
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री	लखनऊ
भैरो प्रसाद मिश्र, श्री	बांदा
मनव्वर हसन, श्री	मुजफ्फरनगर
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महाबीर सिंह, श्री	बिजनौर
महाबीर सिंह, कुंवर	हरदोई
महेन्द्र पाल सिंह, श्री	बिजनौर
महेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री	फतेहपुर
मातवर सिंह कण्डारी, श्री	टिहरी गढ़वाल
माम चन्द्र लाम्बा उर्फ मेमचन्द्र, डा0	सहारनपुर
माया शंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय सिंह, श्री	बलिया
मुनीश गौड़, श्री	अलीगढ़
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहर सिंह, श्री	सहारनपुर
योगेन्द्र कुमार सागर, श्री	बदायूं
रंगनाथ, श्री	वाराणसी
रघुराज प्रताप सिंह, उर्फ राजा भइया, कुंवर	प्रतापगढ़
रणधीर सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	देवरिया
रमापति शास्त्री, श्री	गोण्डा
रमेश कान्त लवानियां, श्री	आगरा
रमेश पोखरियाल 'निशंक', श्री	गढ़वाल
रमेश बहादुर, श्री	प्रतापगढ़
रवीन्द्र पुण्डीर, प्रोफेसर	मेरठ
रवीन्द्र प्रताप चौधरी उर्फ पप्पू चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
रवीन्द्र प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजकुमार शिवहरे, श्री	बांदा
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी

राजा राम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र सिंह, श्री	देहरादून
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	वाराणसी
राधेश्याम गुप्त, श्री	फतेहपुर
रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कुमार वर्मा, श्री	खीरी
राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
राम कृष्ण वर्मा, इन्जी0	मेरठ
राम गोपाल, श्री	खीरी
रामपाल सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
राम प्रकाश, श्री	बस्ती
राम प्रकाश गुप्त, श्री	लखनऊ
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद, श्री	बुलन्दशहर
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम बाबू हरित, डा0	आगरा
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सेवक सिंह, श्री	बदायूं
राम स्वरूप, श्री	एटा
राम स्वरूप शर्मा, स्वामी	मथुरा
रिजवान जहीर उर्फ	
रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
लक्ष्मी चन्द्र, श्री	बुलन्दशहर
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	
उर्फ गुरू जी, श्री	प्रतापगढ़
लाज कृष्ण गांधी, श्री	सहारनपुर
लालजी, श्री	वाराणसी
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
विनय कुमार पाण्डेय	
उर्फ विन्नू, श्री	गोण्डा
विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, श्री	गोण्डा
वीरेन्द्र पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
वीरेश्वर सिंह उर्फ वीरेश यादव, श्री	अलीगढ़
शशिबाला पुण्डीर, श्रीमती	सहारनपुर
शशि बाला भारती, श्रीमती	खीरी
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री	महराजगंज
शिव दानी, श्री	इलाहाबाद
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
शिवेन्द्र, श्री	महराजगंज
श्याम देव राय चौधरी,(दादा)	वाराणसी
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सज्जन पाल सिंह	
उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा
सतीश भाटिया, श्री	लखनऊ
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश, श्री	मुरादाबाद
सत्य प्रकाश विकल, श्री	आगरा
सत्येन्द्र सिंह, श्री	मुरादाबाद
सन्त बक्श सिंह रावत, श्री	लखनऊ
सरजीत सिंह डंग, डा0	मिर्जापुर
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश, श्री	मुरादाबाद
सुधीर कुमार बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री	बाराबंकी
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश चन्द्र तितौरिया, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेश प्रताप सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुरेश संगल, श्री	मुजफ्फरनगर

सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
स्वयंबर चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरक सिंह रावत, श्री	गढ़वाल	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर देहात
हरपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 1 फरवरी, 1995

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 12 बजकर 30 मिनट पर अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय आपका स्वागत है मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष-

"वन्दे मातरम" । राष्ट्रीय गीत ।

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
सुजलाम् ।
सुफलाम् ।
मलयज शीतलाम् ।
शस्य श्यामलाम् ।
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।
शुभ्र-ज्योत्सना-पुलकित-यामनीम्
फुल्ल-कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम्
वरदाम्
मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन का अन्य कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ तो व्यवस्था का प्रश्न कहां से उपस्थित होता है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जब आप पीठ पर बैठ गये, तो व्यवस्था का प्रश्न तो उठ ही सकता है ।

व्यवस्था के सम्बन्ध में आपको बधायी देना चाहता हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, अभी सदन का कार्य प्रस्तावित ही नहीं हुआ तो अभी व्यवस्था का प्रश्न कहां से आ गया ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री राज्यपाल के अभिभाषण का आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण,

विधान मण्डल के वर्ष 1995 के प्रथम सत्र के इस अवसर पर नव वर्ष की शुभकामनाओं सहित मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह प्रस्तुत नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष-

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति आदरणीय ज्ञानी जैल सिंह, प्रखर समाजवादी चिन्तक एवं विचारक, श्री मधु लिमये,..

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया गया ।)

(भूतपूर्व राज्यपाल, गुजरात श्री महीपाल शास्त्री, विधान सभा के सम्मानित सदस्य और मंत्री श्री मनोहर लाल तथा विधान सभा के सम्मानित सदस्य श्री देवकी नन्दन, श्री श्रीराम सिंह एवं श्री जसवन्त सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे । मैं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

लगभग 14 माह पूर्व मेरी सरकार एक निश्चित कार्यक्रम के आधार पर जनादेश प्राप्त कर सत्तारूढ़ हुई थी । यह प्रसन्नता की बात है कि इस अल्प अवधि में ही मेरी सरकार जनता से किये गये अपने प्रायः सभी वायदों को पूरा करने में सफल रही है । इससे स्पष्ट है कि मेरी सरकार की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है । इस बीच प्रदेश में जहां पारस्परिक सद्भाव सुदृढ़ हुआ है वहीं प्रदेश साम्प्रदायिक दंगों से भी मुक्त रहा है । आप अवगत हैं कि मेरी सरकार साम्प्रदायिक शक्तियों के अस्तित्व और सम्भावनाओं को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है । सामाजिक और साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से प्रदेश में आधुनिक संचार साधनों एवं उपकरणों से सुसज्जित शान्ति सुरक्षा बल का गठन किया जा रहा है । अयोध्या, मथुरा एवं काशी में सुरक्षा व्यवस्था और सुदृढ़ कर दी गई है ।

सामाजिक न्याय की पक्षधर मेरी सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के सभी सम्प्रदायों एवं धर्मों के अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा के लिये और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करके उनके उत्थान के लिये कटिबद्ध है । आप अवगत हैं कि इस उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में एक कदम के रूप में स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी समितियों और सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं सहित लोक सेवाओं में पदों के आरक्षण के लिये कानून बनाया जा चुका

नोट :- ((यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

है । निजी क्षेत्र में भी उन्हें रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने ऐसे नियोजकों को कई तरह की छूट और सुविधायें देने का भी निर्णय लिया है जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को नियोजित करेंगे । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये क्रमशः 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की व्यवस्था कानून में ही कर दी गई है ।

मेरी सरकार ने अनसूचित जाति एवं समाज के अन्य निर्बल वर्ग के लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाये हैं । प्रदेश में पिछड़े एवं अल्प संख्यक समुदायों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन के लिये विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ सुलभ कराये जा रहे हैं । मेरी सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिये गया है कि "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" की भांति कुल विभाज्य परिव्यय का 27 प्रतिशत भाग अन्य पिछड़े वर्गों के विकास पर व्यय किया जायेगा । इनके समग्र विकास हेतु पिछड़ा वर्ग आयोग को विधिक दर्जा प्रदान किया गया है । अल्प संख्यकों की विभिन्न समस्याओं और कठिनाइयों के अध्ययन के लिये तथा समय-समय पर सरकार को परामर्श देने के लिये उत्तर प्रदेश अल्प संख्यक आयोग गठित करके उसे विधिक दर्जा दिया गया है । इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करके उसे विधिक दर्जा दिया गया है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय तथा समूह "घ" के पदों पर नियुक्ति हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति में अल्प संख्यक समुदाय के एक सदस्य को नामित किये जाने तथा प्रत्येक चयन समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के एक अधिकारी को अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने की व्यवस्था की गई है । उर्दू भाषा को रोजी-रोटी से जोड़ने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता के सम्बन्ध में प्रत्येक विभाग के सभी कार्यालयों में उर्दू में दिये गये प्रार्थना-पत्रों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करने का निर्णय लिया गया है तथा इस निमित्त उर्दू अनुवादक-सह-कनिष्ठ लिपिक के पांच हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति की जा रही है । राज्याधीन समस्त सेवाओं में ली जाने वाली लिखित परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के उत्तर उर्दू भाषा में दिये जा सकने का प्राविधान भी कर दिया गया है ।

प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी आयी है । आतंकवाद की घटनाओं में इस कमी के फलस्वरूप टाडा अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही में कमी लायी गई है । राज्य सरकार ने वर्तमान में टाडा का उपयोग केवल राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों में लिप्त आतंकवादियों तक ही सीमित रखने का निर्णय लिया है ।

टाडा के अन्तर्गत निरुद्ध शेष अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध टाडा के वाद वापस लिये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से यह भी संस्तुति की है कि भविष्य में टाडा अधिनियम की कार्यावधि न बढ़ाई जाय।

जहां तक समाज के कमजोर वर्ग को त्वरित राहत दिये जाने की बात है, यह उल्लेखनीय होगा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न सम्बन्धी मामलों के अपराध तत्काल पंजीकृत करने तथा प्रभावी ढंग से विवेचना करके 14 दिनों के अन्दर आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल करने के आदेश लागू किये गये हैं। यह भी आदेश किये गये हैं कि घटना के 24 घण्टे के अन्दर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जाय तथा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास एवं उनको तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाना सुनिश्चित किया जाय। ऐसे मामलों में दी जाने वाली आर्थिक सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है।

मेरी सरकार ने अब यह व्यवस्था भी की है कि अदम्य शौर्य एवं साहस का परिचय देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को समय से पहले प्रोन्नत किया जाय।

पुलिस कर्मियों में बेहतर कार्यदक्षता लाने और जन समस्याओं के प्रति पुलिस बल की संवेदनशीलता में वृद्धि के उद्देश्य से पुलिस व्यवस्था सुधार आयोग का भी गठन किया गया है।

जहां तक होमगार्ड संगठन के कल्याण की बात है, मेरी सरकार ने उनके ड्यूटी भत्ते की दैनिक धनराशि 25 रुपये से बढ़ाकर 35 रुपये तथा अन्तर्जनपदीय ड्यूटी में 30 रुपये 50 पैसे से बढ़ाकर 45 रुपये कर दिया है।

मेरी सरकार ने कारागार प्रशासन की परम्परागत कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निमित्त महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं, जिसके अन्तर्गत बन्दियों को साक्षर बनाने हेतु "एक पढ़ाये एक" योजना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चालू वर्ष में 296 सिद्ध दोष तथा 3,691 विचाराधीन बन्दियों को साक्षर बनाया गया है।

विदित ही है कि हमारे प्रदेश की अधिसंख्यक जनता ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है तथा खेती पर निर्भर है। कृषकों को समुचित मूल्य पर कृषि निवेश उपलब्ध कराते हुये तिलहन एवं दलहनी फसलों के उत्पादन में आशाजनक वृद्धि हुई है। वर्ष 1994-95 से भारत सरकार की नीति के अनुसार एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र के 27 जनपदों में चुने हुये 180 विकास खण्डों में चावल आधारित एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 जनपदों के 200 विकास खण्डों में गेहूं आधारित कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 35 लाख हेक्टेअर भूमि ऊसर, खादर एवं जल-भराव जैसी समस्याओं से ग्रसित है। इसके लिये 120 भूमि संरक्षण इकाइयां कार्यरत हैं। सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार भूमि सेना योजना प्रदेश के 12 ऊसर बाहुल्य जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न संसाधनों को

समन्वित करते हुये 12,000 हेक्टेअर क्षेत्र भूमिहीन कृषकों को आवंटित करके उपचारित करते हुये फसल योग्य बनाने का लक्ष्य है। इस योजना में निःशुल्क बोरिंग, प्रक्षेत्र विकास, जल विकास, मृदा सुधार, पम्पसेट वितरण, हरी खाद, कृषि निवेशों की व्यवस्था के कार्य वित्त पोषण एवं तकनीकी सहायता से किये जा रहे हैं।

मेरी सरकार किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु भी कृत संकल्प है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु मेरी सरकार ने वर्तमान पेराई सत्र में गन्ना उत्पादकों के हित में शीघ्र पकने वाली प्रजातियों का मूल्य 61 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 70 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इसके अतिरिक्त क्रय केन्द्रों पर यातायात की कटौती 3 रुपये प्रति क्विंटल से घटाकर 2 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।

खेती की दशा सुधारने के लिये यह आवश्यक है कि सिंचाई के साधन पर्याप्त हों। सरकार का यह लक्ष्य है कि सभी किसानों को कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2 लाख हेक्टेअर अधिक क्षेत्र में सिंचाई की गई। मेरी सरकार के प्रयास से दीर्घकाल से लम्बित यमुना अन्तर्राज्यीय जल वितरण में जल के भागीदार प्रदेशों के बीच आपसी सहमति हो गई है, जिससे इस प्रदेश के किसानों को काफी लाभ होगा।

मेरी सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि आगामी तीन वर्षों में प्रदेश की सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि को सिंचित बना दिया जाय। इस संबंध में इस वर्ष 4 लाख निःशुल्क बोरिंग कराये जाने का लक्ष्य है। निःशुल्क बोरिंग तथा अन्य सिंचाई कार्यक्रमों से 11.16 लाख हेक्टेअर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी, जिसके लाभार्थी लघु, सीमान्त एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषक होंगे। कृषकों के कल्याण से संबंधित इन प्रयासों का कृषि के सर्वांगीण विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा तथा इसका लाभ निःसंदेह प्रदेश की जनता को मिलेगा। राजकीय नलकूपों की सम्पूर्ण क्षमता का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु चरणबद्ध तरीके से उनके निजीकरण/सहकारीकरण पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। इस संबंध में मेरी सरकार द्वारा एक नई ऊर्जा-नीति घोषित की गई है, जिसे दृष्टिगत रखते हुये विद्युत के उत्पादन, पारेषण एवं वितरण की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु शासन निरंतर प्रयत्नशील है। प्रदेश में विद्युत की मांग तथा उपलब्धता में अन्तर दूर करने के लिये ऊर्जा के क्षेत्र में निजी पूंजी निवेश हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। विष्णु प्रयाग तथा श्रीनगर (पौढ़ी गढ़वाल) में विद्युत परियोजनाओं तथा रोजा (शाहजहांपुर) एवं जवाहरपुर (एटा) में तापीय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना निजी क्षेत्र में किये जाने हेतु निजी कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये जा चुके हैं। चीनी मिलों से विद्युत के सह उत्पादन के लिये शर्तें

निर्धारित कर दी गई हैं । राज्य विद्युत परिषद् की दक्षता बढ़ाने एवं इसे अधिक सेवापरक बनाने के उद्देश्य से परिषद् के पुनर्गठन पर विचार किया जा रहा है ।

पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों में लगातार होने वाली कमी एवं उनके अधिकाधिक प्रयोग से होने वाली प्रदूषण की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये एक आकर्षक नीति घोषित की गई है, और लघुजल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु निजी कम्पनियों से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किये गये हैं । पवन ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पादन का प्रयास किया जा रहा है ।

मेरी सरकार द्वारा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने एवं मत्स्य पालकों के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण योजनायें चलाई जा रही हैं । मत्स्य पालकों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों के गठन एवं पंजीकरण की व्यवस्था की गई है । प्रदेश में 708 सहकारी समितियां गठित की जा चुकी हैं । चालू वित्तीय वर्ष में 1,000 अतिरिक्त मत्स्य पालकों को दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित करने का लक्ष्य है । सरकार द्वारा तालाबों को पट्टे पर देने की प्रक्रिया में संशोधन करके यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि तालाबों के पट्टे मत्स्य पालकों को उचित मूल्य दिलाये जाने की दिशा में मत्स्य विपणन हेतु अवस्थापना विकास की एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है ।

विदित ही है कि वन प्रकृति की एक बहुत बड़ी सम्पदा है तथा पर्यावरण की दृष्टि से इनकी सर्वाधिक उपयोगिता है । असामाजिक तत्वों और वन माफिया द्वारा वन सम्पदा के अवैध दोहन को रोकने के लिये मेरी सरकार द्वारा कठोर कार्यवाही की जा रही है तथा वन कर्मचारियों को संचार साधन एवं हथियार उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

मेरी सरकार द्वारा पर्यावरण की समस्याओं का प्रभावशाली रूप से निदान किये जाने हेतु विभिन्न पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । कार्य योजना के अन्तर्गत वृहद एवं मध्यम श्रेणी के 224 चिन्हित उद्योगों में से 201 उद्योगों में जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था तथा 146 उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था कर ली गई है । इसके अतिरिक्त 454 चिन्हित लघु उद्योगों में से 268 में भी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की गई है ।

मेरी सरकार द्वारा सहकारिता आन्दोलन को सार्थक, प्रगतिशील एवं प्रजातांत्रिक स्वरूप देकर समितियों को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में विकसित करने के लिये सहकारी समिति अधिनियम और नियमावली में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं समिति की निर्वाचित प्रबन्ध कमेटियों का कार्यकाल तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दिया गया है तथा निर्वाचन न हो पाने पर प्रशासक नियुक्त करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है । निर्वाचित प्रबन्ध कमेटी को अवक्रामित करने के पूर्व सामान्य निकाय की राय लेना अनिवार्य कर दिया गया है । सहकारी समितियों में महिलाओं,

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। सदस्यों को पास बुक देने का प्राविधान किया गया है। लगभग 14,000 सहकारी समितियों के निर्वाचन सम्पन्न कराकर प्रबन्ध की बागडोर जन प्रतिनिधियों को सौंप दी गई है। शेष समितियों के निर्वाचन भी शीघ्र कराये जाने का कार्यक्रम है।

सहकारी आन्दोलन को नई दिशा प्रदान करने, उसमें नई विचारधारा का संचार करने, नव-निर्वाचित सदस्यों को सरकार की अपेक्षाओं से अवगत कराने तथा उनको अपने कार्य के सम्पादन में जो समस्यायें आ रही हैं उनसे अवगत होते हुये उनका निराकरण सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से दिनांक 25 नवम्बर, 1994 को लखनऊ में एक अभूतपूर्व राष्ट्र स्तरीय सहकारी महासम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 30,000 नव-निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। यह आयोजन सहकारी आन्दोलन के इतिहास में अद्वितीय रहा और उससे सहकारिता के क्षेत्र में नई जागृति पैदा हुई है।

यहां इसका उल्लेख प्रासंगिक होगा कि प्रदेश की सहकारी ऋण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 1994-95 से वर्ष 1998-99 के मध्य "नाबार्ड", राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से 514.00 करोड़ रुपये अंशपूंजी तथा 275.36 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में उपलब्ध कराये जायेंगे।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को शोषण से मुक्त कराकर उनकी आय में वृद्धि करने तथा नगरीय क्षेत्र में दुग्ध उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर स्वास्थ्यवर्द्धक एवं विसंक्रामित दूध की आपूर्ति के उद्देश्य से सभी जिलों में सहकारिता के सिद्धान्त पर दुग्धशाला विकास योजनायें एवं कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर सुलभ कराने हेतु सघन मिनी डेरी परियोजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र के 48 जनपदों एवं पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में 34,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 34 जनपदों में 584 महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है।

मेरी सरकार के लिये त्वरित ग्रामीण विकास एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। प्रदेश की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले सभी 11,013 ग्रामों को अम्बेदकर ग्राम के रूप में नामित करते हुये उन्हें निःशुल्क बोरिंग, एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, सम्पर्क मार्ग, खड़ंजा, नाली का निर्माण, इन्दिरा आवास योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना, विद्युतीकरण से आगामी 2 वर्षों में पूर्णतः संतृप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

वर्ष 1995-96 में 1,000 से अधिक आबादी वाले 116 गांवों को मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त समस्त अम्बेदकर गांवों को मार्गों से जोड़ने पर विशेष बल दिया जायेगा।

कृषि में लगे लोगों में अर्द्ध-रोजगारी तथा बेरोजगार नवयुवकों की समस्या एक गम्भीर चुनौती है । बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने की प्रतिबद्धता के संबंध में मेरी सरकार ने पांच लाख बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ कराने की कार्य योजना बनाई है । इसके अंतर्गत 100 और विकास खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना का प्रसार किया जायेगा । इसके अलावा दुग्ध विकास, पशुपालन, मत्स्य, कृषि, लघु उद्योग, रेशम एवं खादी तथा ग्रामोद्योग में कुछ और रोजगार परक योजनायें प्रारम्भ की जा रही हैं ।

मेरी सरकार राजनैतिक सत्ता एवं आर्थिक प्रभुत्व के विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है । 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में अधिनियमित उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव से संबंधित सभी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है । इस प्रयोजन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जा चुका है । पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन तथा राज्य की संचित निधि से सहायता अनुदान के संबंध में संस्तुतियां करने हेतु एक वित्त आयोग का गठन किया गया है । त्रिस्तरीय पंचायतों को आवश्यक शक्तियां और अधिकार दिये जाने के संबंध में संस्तुतियां करने हेतु एक प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण आयोग का भी गठन किया गया है ।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं, पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिये आरक्षण की उपयुक्त व्यवस्था की गई है ।

संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार बनाये गये नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 को 1 जून, 1994 से प्रभावी कर दिया गया है । नये प्राविधानों के अन्तर्गत निकायों का चुनाव कराये जाने हेतु कक्षों के परिसीमन का कार्य कराया जा रहा है तथा निर्वाचक नामावली तैयार कराई जा रही है तथा यह प्रयास किया जा रहा है कि निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कर लिये जायं । स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन बढ़ाये जाने हेतु आवश्यक प्राविधान किये जा रहे हैं । इनके द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं यथा, सफाई, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था का चरणबद्ध निजीकरण भी किया जायेगा ।

मेरी सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार "बिक्रीकर" को समाप्त करके उसके स्थान पर "व्यापार कर" की नयी व्यवस्था लागू की है, जिसमें कर की प्रक्रिया को आसान बनाकर "इन्सपेक्टर राज" को समाप्त करके व्यापारियों को अनेक प्रकार की सुविधायें दी गई हैं । वर्ष 1993-94 तक लम्बित दस लाख रुपये तक के कर निर्धारण वादों में स्वतः कर निर्धारण योजना लागू की गई है । निर्यात या आयात के बिन्दु कर व्यापार का प्रदत्त वस्तुओं का व्यापार करने वाले तथा पांच लाख रुपये तक व्यापार योग्य विक्रय धन के व्यापारियों के लिये "समाधान योजना"

लागू की गई है। प्रदेश में खुलने वाली नई इकाइयों को कर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृषि उत्पादन के लिये फॉस्फेट तथा पोटेशियम उर्वरकों की बिक्री को कर मुक्त कर दिया गया है। पिछड़े, दलित व अल्प संख्यकों को नियमानुसार रोजगार के अवसर देने पर संगठित क्षेत्र की इकाइयों को व्यापार कर की दरों में 25 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिये मेरी सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की दर दस प्रतिशत से अधिक है। विकास की दर को बढ़ाने हेतु उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं के सृजन पर अधिक बल दिया जायेगा। इसके लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई गई है तथा एक अवस्थापना कोष की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी विशिष्ट इकाइयों, जिनमें 50 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी विनियोजन हो, को विशेष सुविधा दिये जाने के उद्देश्य से एक अधिकार प्राप्त कमेटी का भी गठन किया गया है।

प्रदेश में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संचालन, जिला उद्योग केन्द्रों के प्रशासनिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, उद्यमिता विकास तथा प्रक्रियाओं को सरल एवं युक्तिसंगत बनाकर तथा इन्सपेक्टर राज की समाप्ति प्रदेश की औद्योगिक प्रगति के मुख्य आधार हैं।

मेरी सरकार द्वारा बनाई गई औद्योगिक नीति 1 अप्रैल, 1995 से लागू की जानी प्रस्तावित है। नई नीति के तहत उक्त तिथि से व्यापार कर छूट के लिये बंधक व्यवस्था लागू होगी जिसके अनुसार कच्चे माल के विरुद्ध दिया गया व्यापार कर इकाई द्वारा बनाये गये माल पर देय व्यापार कर के विरुद्ध समायोजित कर लिया जायेगा। इस नीति के कार्यान्वयन से औद्योगीकरण की दिशा प्रशस्त होगी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मेरी सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की उत्पादकता एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के लिये महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। इसके लिये सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने, उनमें दक्षता सुनिश्चित करने एवं सामाजिक उपादेयता वाले निगमों को छोड़कर आवश्यकतानुसार उनके निजीकरण की नीति बनाई है।

हथकरघा उद्योग अपनी पारम्परिक कुशलता, कला सौष्ठव एवं ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के अतिरिक्त जनसाधारण की वस्त्र आवश्यकता की आपूर्ति में विशिष्ट भूमिका निभा रहा है। इस उद्योग में लगे लगभग 11 लाख बुनकरों को विपन्नता से सम्पन्नता की ओर ले जाने हेतु मेरी सरकार सतत् प्रयत्नशील है। इसके लिये बुनकरों को जनता वस्त्र उत्पादन में प्रयुक्त धागे पर 5 रुपये प्रति किलोग्राम तथा अन्य वस्त्र उत्पादन के धागे पर 15 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुदान की व्यवस्था है। बुनकरों की आवासीय कार्यशाला योजना के अन्तर्गत मेरठ, आजमगढ़, इलाहाबाद, झांसी, मुरादाबाद तथा वाराणसी में 4,600 मकान बनाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है तथा बुनकर बाहुल्य वाले अन्य क्षेत्रों में भी इस

योजना का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 25,000 बुनकरों को थ्रिफ्ट फण्ड तथा सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव है। विदेशी बाजार में हथकरघा वस्त्रों की बढ़ती मांग को देखते हुये निर्यात सम्वर्धन तथा प्रोत्साहन हेतु प्रभावी कदम उठाये जायेंगे।

इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के विकास के लिये नोयडा में एक इलेक्ट्रानिक्स नगर की स्थापना करने का निर्णय सैद्धान्तिक रूप से लिया गया है। इसके लिये सह प्रवर्तकों को पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस इलेक्ट्रानिक्स नगर में उच्च स्तरीय सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी, जिससे देश और विदेश की कम्पानियों को इलेक्ट्रानिक्स उद्योग लगाने हेतु आकर्षित किया जा सकेगा तथा प्रदेश के तकनीकी योग्यता रखने वाले युवा वर्ग को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

प्रदेश में 25 नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु भारत सरकार से आशय पत्र प्राप्त किये जा चुके हैं तथा 20 और नई चीनी मिलों की स्थापना का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। यह प्रयास किया जा रहा है कि चीनी उद्योग में प्रदेश में उपलब्ध गन्ने की खपत 32 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत हो सके। मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि समस्त सरकारी एवं सहकारी चीनी मिलों द्वारा किसानों के बकाया समस्त गन्ना मूल्य का शतप्रतिशत भुगतान हो जाय। प्रदेश की समस्त सहकारी गन्ना समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के तथा इनकी शीर्ष संस्थाओं के चुनाव जो कई वर्षों से लम्बित थे, सम्पन्न कराये जा चुके हैं।

नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में यात्रियों के लिये परिवहन की सुविधा में सुधार करने की दृष्टि से परिवहन निगम के बस बेड़े में 800 नई बसें चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किया जना प्रस्तावित है। साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु निजी पूंजी निवेश को भी आकर्षित किया जायेगा।

प्रदेश में अवस्थापना के विकास की गति में तीव्रता लाने के उद्देश्य से ग्रामीण मार्गों, छूटी कड़ियों, अम्बेदकर ग्रामों को जोड़ने तथा अन्य जिला मार्गों के निर्माण हेतु चालू वित्तीय वर्ष में जवाहर रोजगार योजना से 18 करोड़ रुपये तथा अलग से 50 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त नहर सेवा मार्गों को ग्रामीण सड़कों के रूप में उपयोग करने हेतु इन मार्गों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्निर्माण हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जिससे 201 नये मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। निजी क्षेत्र के सहयोग से एक करोड़ रुपये से अधिक की लागत के मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये भारतीय पथकर अधिनियम, 1851 में संशोधन किया गया है।

उत्तर प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें वांछित सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये निजी उद्यमियों से भी सहायता ली जा रही है। शासन द्वारा

घोषित पर्यटन उद्योग नीति के अन्तर्गत पर्यटन के सर्वांगीण एवं त्वरित विकास के लिये प्रदेश के 6 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। नई नीति के अन्तर्गत उद्यमियों को उक्त क्षेत्रों में स्टार होटल बनाने के लिये बाजार दर से कम मूल्य पर भूमि उपलब्ध करायी जायेगी तथा होटल के आस-पास हरित क्षेत्र विकसित कर सड़क एवं बिजली-पानी की सुविधायें प्रदान की जायेंगी ताकि पर्यटन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके।

मेरी सरकार सभी को शिक्षा सुलभ कराने हेतु कटिबद्ध है। प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था एवं हर न्याय पंचायत में जूनियर हाई स्कूल की व्यवस्था तीन वर्ष में करने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है।

मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा में अपेक्षित गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में एक उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना का निर्णय लिया है तथा स्नातक पाठ्यक्रमों में एकरूपता लाये जाने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। राज्य के विश्वविद्यालयों को आर्थिक दृष्टि से आत्म निर्भर बनाने के उद्देश्य से नये व्यवसाय परक एवं स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं। महाविद्यालयों में कार्यरत चयन वेतनमान के प्रवक्ताओं को कुछ शर्तों के तहत उपाचार्य का पद नाम दिये जाने का निर्णय लिया गया है। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में एक सीमा तक के आय वर्ग के विद्यार्थियों को ही निःशुल्क शिक्षा दिये जाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अवस्थापना सृजन हेतु पूंजी नियोजित हो सके। इसके अतिरिक्त राजकीय विद्यालयों में दो पाली चलाने पर भी विचार किया जा रहा है।

औद्योगिक परिदृश्य में परिवर्तन एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के उत्तरोत्तर विकास के परिप्रेक्ष्य में अर्थव्यवस्था की अपेक्षाओं के अनुरूप सुयोग्य प्रशिक्षित जन शक्ति की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में अभियंत्रण संस्थाओं की कमी को दृष्टिगत रखते हुये निजी क्षेत्र में अभियंत्रण संस्थाओं की स्थापना की नीति निर्धारित की गई है। समाज के अपेक्षाकृत कमजोर तबकों को प्राविधिक शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने हेतु प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को क्रमशः 21, 2 तथा 27 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम् अर्हकारी अंकों का प्रतिबन्ध समाप्त कर दिया गया है। अल्प संख्यकों द्वारा निजी पॉलीटेक्निक अथवा इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किये जाने पर संस्था विशेष के अनुरोध पर उसे अल्प संख्यक संस्था के रूप में अभिप्रमाणित किये जाने की नीति निर्धारित की गई है।

प्रदेश में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न जनपदों में क्रीड़ांगन, बहुद्देशीय क्रीड़ा हाल तथा तरणताल का निर्माण कराया जा रहा है । प्रदेश की राजधानी में एक राज्य स्तरीय क्रीड़ा संकुल निर्माणाधीन है । हाकी के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु वाराणसी में एस्ट्रो टर्फ लगाया जा चुका है तथा रामपुर में एस्ट्रो टर्फ लगाने का कार्य प्रगति पर है ।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, वादन, गायन, खेलकूद, महिला कल्याण आदि क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाली प्रदेश की प्रतिभाओं को 'यश भारती' सम्मान से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया है तथा तद्नुसार ऐसी विशिष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है ।

यहां इसका उल्लेख भी प्रासंगिक होगा कि राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिये उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को इस वर्ष से क्रमशः 50 हजार, 30 हजार एवं 20 हजार रुपयों का सद्भावना पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ।

सन् 2,000 तक सबके लिये स्वास्थ्य की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत प्रदेश में निर्धारित चिकित्सा सम्बन्धी लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं प्रदेश की जनसंख्या के अनुसार चिकित्सकों की कमी को दृष्टिगत रखते हुये मेरी सरकार ने निजी क्षेत्र में मेडिकल तथा डेन्टल कालेजों की स्थापना का निर्णय लिया है ।

जन साधारण को सरल एवं सुलभ चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश के मेडिकल कालेजों में आवश्यक आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, विशेषकर कोबाल्ट थिरेपी यूनिट तथा सी.टी. स्कैन की स्थापना पर विशेष बल दिया जा रहा है । सभी मेडिकल कालेजों में अल्ट्रासाउन्ड तथा आटो एनॅलाइजर लगाने की व्यवस्था हो गयी है । साथ ही उच्च व्यावसायिक शिक्षा यथा, चिकित्सा, प्राविधिकी आदि पर बहुत कम फीस रखकर राज्य सरकार द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जायेगा जिसकी प्रतिपूर्ति फीस में वृद्धि कर के किये जाने पर विचार है ।

चिकित्सा क्षेत्र में स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में स्थापित संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान में शीघ्र ही बोन मेरो ट्रान्सप्लांट की सुविधा प्रारम्भ किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे कैन्सर के रोगियों को इसके लिये विदेश नहीं जाना पड़ेगा ।

नगर क्षेत्र में नागरिकों को स्वच्छ पेयजल, समुचित प्रकाश व्यवस्था, जलोत्सारण, सफाई, स्वास्थ्य एवं मलिन बस्तियों के सुधार हेतु विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कराया जा रहा है । विश्व बैंक की सहायता से प्रथम चरण में प्रदेश के 11 नगरों में जल सम्पूर्ति, जलोत्सारण व्यवस्था में सुधार तथा विस्तार का कार्य पूर्ण कराया गया है । आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रदेश के सभी ग्रामों में स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है ।

भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश को स्वच्छकार मुक्त एवं सर पर मैला ढोने की कुप्रथा को समाप्त करने के निर्णय के कार्यान्वयन हेतु प्रदेश सरकार लगभग 500 नगरों में योजना चला रही है। प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों में स्थित शुष्क शौचालयों को जलधौत शौचालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य है।

मेरी सरकार की नीति के अन्तर्गत जनसाधारण के लिये "घर एक अधिकार" को राष्ट्रीय विकास के आधारभूत लक्ष्य के रूप में लिया गया है। आरक्षण नीति के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित आवासों एवं भूखण्डों में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिये 23 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 27 प्रतिशत का आरक्षण किया गया है।

संसद द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय आवास नीति को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश की आवास नीति शीघ्र बनाई जायेगी। आवासीय अवस्थापना के सृजन में अधिक निजी पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिये राज्य सरकार उचित वातावरण बनायेगी।

बदलते आर्थिक परिवेश में प्रदेश के औद्योगिक विकास एवं श्रमिकों के हित में सामंजस्य बनाये रखते हुये विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत सीमित एवं गुणात्मक निरीक्षण की व्यवस्था की गई है। औद्योगिक मामलों में सरकार के त्वरित हस्तक्षेप के फलस्वरूप हड़ताल तथा तालाबन्दी की संख्या में तथा कार्य दिवसों की हानि में कमी लाई जा सकी है। बाल श्रम समस्या की समाप्ति मेरी सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अन्तर्गत 4 परियोजनायें कालीन, कांच एवं चूड़ी, ताला तथा पीतल उद्योगों में चलाई जा रही हैं। इसके अन्तर्गत लगभग 2,900 बाल श्रमिकों को अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पुष्टाहार, चिकित्सा सुविधा तथा 100 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 में चरणबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः 6 तथा 7 औषधालय खोले जाने प्रस्तावित हैं।

सन् 2,000 तक खतरनाक उद्योगों में लगे बाल श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने के उद्देश्य से फिरोजाबाद में कांच उद्योग, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर के कालीन उद्योग, अलीगढ़ के ताला उद्योग तथा मुरादाबाद के पीतल उद्योग में बाल श्रमिकों के पुनर्वास एवं बाल श्रम के उन्मूलन हेतु परियोजनायें बनाकर भारत सरकार को भेजी जा चुकी हैं।

मेरी सरकार समाज के निर्बल एवं वृद्ध सदस्यों को भरण पोषण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके लिये किसान पेंशन योजना संचालित की गई है। अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याणार्थ अलग-अलग स्थापित वित्त एवं विकास निगमों द्वारा विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनका और अधिक विस्तार किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिये क्रमशः महिला कोष तथा बाल कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में प्रभावी ढंग से संचालित किया जायेगा ।

गांवों में शौचालयों के अभाव में महिलाओं को असुविधा होती है । उसके निराकरण के लिये राज्य के प्रत्येक गांव में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करने का प्रयास मेरी सरकार ने किया है । इन सेनानियों की पेंशन में 12 अगस्त, 1994 से 250 रुपये प्रतिमाह तथा चिकित्सा/विवाह अनुदान में 1,000 रुपये की वृद्धि की गई है ।

उत्तराखण्ड के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये तथा वहां की विशिष्ट समस्याओं के निदान हेतु पृथक उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना हेतु प्रस्ताव मेरी सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजा गया है । उत्तराखण्ड के विकास में गतिशीलता लाने के लिये मुख्य अवस्थापना सुविधाओं जैसे सड़क एवं पुल, विद्युत, सिंचाई आदि कार्यक्रमों को तेजी से चलाया जा रहा है । उत्तराखण्ड क्षेत्र में पेयजल की समस्या के निदान हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है । सड़क एवं पुल के कार्यों को पहली बार जिला योजना में सम्मिलित किया गया है । विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये कोटद्वार में 132 के.वी. सबस्टेशन की स्थापना की जा रही है, जिसके आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा होने की सम्भावना है । इस क्षेत्र में अधिकाधिक संख्या में लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध कराने एवं उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु बागवानी विकास, कुटीर उद्योग, इलेक्ट्रानिक उद्योग, जड़ी बूटी विकास, पशुपालन तथा डेरी विकास आदि से सम्बन्धित योजनायें संचालित की जा रही हैं ।

भू-अभिलेखों का रख-रखाव तथा उनके उद्धरण काश्तकारों को सुगमता से उपलब्ध कराये जाने एवं राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से प्रदेश में भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना चलाई जा रही है । ऐसा असंक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, जो दस वर्ष तक ऐसा भूमिधर रहा हो, को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर बनाया गया है । किन्तु यदि वह बिक्री द्वारा भूमि का अन्तरण करता है तो वह गांव सभा या राज्य सरकार की किसी भूमि का पट्टा प्राप्त करने का पात्र नहीं रहेगा ।

मेरी सरकार द्वारा न्यायिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने, त्वरित न्याय दिलाने तथा लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये आवश्यक व्यवस्था की जा रही है । इसके लिये अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के 55 पदों का सृजन

किया गया है । पारिवारिक न्यायालय एवं सतर्कता अधिष्ठान के लम्बित वादों की सुनवाई मण्डल स्तर पर किये जाने हेतु लखनऊ, बरेली, बनारस, गोरखपुर तथा मेरठ मण्डल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 5 पदों के सृजन का प्रस्ताव है । समाज के निर्बल वर्ग को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराने तथा उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिये गठित कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड को और प्रभावी बनाने हेतु सभी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं । प्रदेश में वर्तमान में अनेक कानून अप्रासंगिक हो गये हैं और अनेक में संशोधन वांछनीय है । इस बारे में प्रदेश सरकार एक विधि आयोग का गठन करेगी, जिसकी संस्तुतियों को प्राप्त कर परीक्षणोपरान्त आवश्यक निर्णय लिया जायेगा ।

प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने की दिशा में मेरी सरकार का यह विश्वास है कि जहां एक ओर संसाधन जुटा कर उत्पादन की नई क्षमतायें आवश्यकतानुसार सृजित की जाय, वहीं पूर्व में किये गये निवेश को सृजित क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने और अधूरे कार्यों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

अपनी प्रतिबद्धताओं को मूर्तरूप देने के लिये मेरी सरकार ने 15 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चिन्हित किया है, जिनमें अम्बेदकर ग्राम योजना, ग्रामीण स्वच्छता, छात्रवृत्ति वितरण, निराश्रित वृद्ध, विधवा एवं विकलांग पेंशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति बस्तियों का विद्युतीकरण, ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति, नहरों के अन्तिम छोर तक पानी की व्यवस्था, दोषपूर्ण राजकीय नलकूपों का सुधार, मछुवा समुदायों को मछली पालन तथा कुम्भकारों को मिट्टी निकालने हेतु पट्टा वितरण, प्राइमरी पाठशाला भवनों का निर्माण, उत्तराखण्ड में पेयजल व्यवस्था, हथकरघा बुनकरों को सहायता तथा ग्रामोद्योगों की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है । इन कार्यक्रमों के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । इन कार्यक्रमों की समीक्षा स्वयं मुख्य मंत्री जी कर रहे हैं ।

मेरी सरकार द्वारा व्यापक जनहित में वक्फ, धार्मिक संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं एवं कतिपय अन्य संस्थाओं में निहित भवनों को उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम से मुक्त कर दिया गया है ।

राज्य सरकार जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक कदम उठायेगी, वहीं दूसरी ओर उच्च आय वर्ग के लोगों को उक्त सुविधा के दायरे से बाहर करने पर भी विचार करेगी । सरकार अनुत्पादक व्यय में कमी करने के

लिये संकल्पबद्ध है । व्यय बचत आयोग ने विभिन्न संस्तुतियां की हैं । कुछ संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा चुकी है । शेष संस्तुतियों पर परीक्षणोपरान्त शीघ्र निर्णय किया जा रहा है । ऐसी योजनायें जो उपयोगी या व्यावहारिक नहीं हैं, उनको समाप्त किया जायेगा और बचे परिव्यय को अन्य उपयोगी योजनाओं हेतु आवंटित किया जायेगा ।

माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियों और कतिपय प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है । विधान मण्डल के इस सत्र में आपके सामने वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान और वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिये द्वितीय अनुपूरक मांगें भी प्रस्तुत की जायेंगी जिन्हें पारित करने की आपसे अपेक्षा की जायेगी । विगत सत्र के बाद मैंने कुछ अध्यादेश प्रख्यापित किये हैं, जिनको प्रतिस्थापित करने वाले विधेयक तथा कुछ अन्य विधेयक आपके विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे ।

अपना अभिभाषण समाप्त करने के पूर्व मैं आपको यह स्मरण कराना चाहूंगा कि लोकतंत्र का भविष्य बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि सदन के भीतर और सदन के बाहर आपका व्यवहार कैसा हो । मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सदैव इस सदन की उच्च गरिमा एवं पवित्रता को बनाये रखेंगे । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श में सदैव गम्भीरता, निःस्वार्थ सेवा एवं सार्वजनिक कर्तव्यों के प्रति निष्ठा होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, यह गम्भीर प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है ।.... इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आहूत करता हूं ।

जयहिन्द

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अब तो सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 3, माननीय नगर विकास मंत्री ।

सरकार के अल्पमत में हो जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इस सरकार का, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा हुआ इसलिये नहीं माना जा सकता, आप इसे देखें महामहिम राज्यपाल जी ने इसमें नेता सदन को सम्बोधित नहीं किया है । नेता सदन को सम्बोधित नहीं करना महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसलिये अति महत्वपूर्ण हो गया है, सम्भवतः उनको अहसास हो गया है कि अल्पमत की सरकार है और अल्पमत की सरकार का अभिभाषण तभी हो सकता है जब तक यह बहुमत न कर लें, यह अभिभाषण कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, यह अल्पमत की सरकार का अभिभाषण है, इसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता । पहले यह बहुमत साबित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही आगे चलने दीजिये ।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप देखें, इसमें नेता सदन को सम्बोधित नहीं किया गया है । मान्यवर, यहां तक कि महामहिम ने, कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया है, इस सरकार को अल्पमत सरकार माना है । इसलिये महामहिम राज्यपाल ने नेता सदन को सम्बोधित नहीं किया है । मान्यवर, आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 3 माननीय नगर विकास मंत्री । जब कोई अव्यवस्था है ही नहीं तो व्यवस्था किस बात की ?

श्री प्रमोद तिवारी-

अल्पमत की सरकार में, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण इस सदन की कार्यवाही का अंग नहीं बन सकता है ।

श्री अध्यक्ष-

कार्यवाही चलने दीजिये । मद संख्या 3

श्री नरेश अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय प्रमोद तिवारी जी द्वारा उठाये गये प्रश्न पर बोल रहा हूं। मान्यवर, मुझे सुन लें। मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि बसपा के माननीय नेता श्री राम लखन वर्मा जी ने अविश्वास व्यक्त कर दिया है माननीय मुख्य मंत्री जी से मिल करके। यह पूर्ण रूप से अल्पमत की सरकार हो गयी है। महामहिम ने नेता सदन को इसमें सम्बोधित नहीं किया है। माननीय राम आसरे वर्मा जी भी अविश्वास व्यक्त कर चुके हैं, किरन पाल जी के बारे में नहीं पता है। इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का कोई औचित्य नहीं रह गया है, इस पर आप व्यवस्था देने का कष्ट करें। इस पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा।

आज की कार्यसूची में सम्मिलित किये गये मदों पर आपत्ति

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, जो आपकी कार्यसूची है। एक परम्परा रही है सदन की जब सदन बैठता है तो सबसे पहले वन्दे मातरम् होता है और श्री राज्यपाल जी के सन्देश को पढ़कर सुनाया जाता है। उसके बाद अगर एजेन्डे में कोई भी मद ली जानी होती है तो निधन के निर्देश लिये जाने चाहिये थे। यह वरीयता के आधार पर परम्परा बनी हुई है। लेकिन आज इस एजेन्डे को देखने पर पता लगता है कि प्रस्तुतीकरण और सारा काम आज ही समाप्त करा देना चाहते हैं, कुछ नीयत पर शक हो रहा है सरकार की, इनकी इस सदन को आगे न चलने देने की नीयत लग रही है।

इसमें मुख्य मुद्दा यही है कि निधन के निर्देश पहले...

श्री अध्यक्ष-

यह तो कार्य-मंत्रणा समिति ने ही तय किया है।

श्री राम आसरे वर्मा-

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि जो प्रस्तुतीकरण किया गया है वह वरीयता के आधार पर नहीं किया गया है इससे सरकार की नीयत पर हमें शक हो रहा है। यह सदन को आनन फानन दो एक दिन चलाकर समाप्त कर देना चाहते हैं। जो सदन की परिपाटी रही है उसे इस सदन ने हमेशा से निभाया है लेकिन ये लोग उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं यह बड़ा ही दुःखद विषय है। मानवता के नाते भी और परम्परा के नाते भी यह दुःखद है। आखिर ऐसी कौन सी परिस्थितियां आ गईं जो इन्होंने वरीयता के आधार पर निधन के निदेश नहीं लिये।

(व्यवधान)

श्री रणजीत सिंह जूदेव-

मान्यवर, जो माननीय नेता कांग्रेस दल ने कहा कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय नेता सदन को सम्बोधित नहीं किया गया है उसके सम्बन्ध में आपने कोई टिप्पणी नहीं की है। इस पर कोई निर्णय दें।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, कार्य मंत्रणा समिति ने जैसा प्रोग्राम तय किया है उसी के अनुसार यह एजेन्डा बना है। निधन के निदेश कल होंगे उसके बाद अवकाश रहेगा। परम्परा के अनुसार ही यह कार्य हो रहा है।

(व्यवधान)

सरकार के अल्पमत में हो जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, श्री राज्यपाल के अभिभाषण में नेता सदन को सम्बोधित नहीं किया गया है यह अल्पमत की सरकार है।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, यह तो केवल चार लोग ही हैं हम लोग तो यहां पर 250 हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने नेता कांग्रेस विधान मण्डल द्वारा जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उस पर अपना निर्णय नहीं दिया है। यह तो स्पष्ट ही है कि कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। जब इस सरकार का गठन हुआ था तो उस समय कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत में नहीं थी और हम लोगों ने समर्थन देकर इस सरकार को अवसर दिया था। परन्तु अब हमने अपना समर्थन वापस ले लिया है।

श्री अध्यक्ष-

आप उस अवसर की प्रतीक्षा कीजिये।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

समर्थन वापस ले लिया तो इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारा पूरा बहुमत है जब आप लोग चाहेंगे हम सिद्ध कर देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

जब तक सरकार पूर्ण विश्वास प्राप्त नहीं कर लेती मेरा अनुरोध है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को स्थगित कर दें।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 ‡

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1994 ‡

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अध्यादेश 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

‡ छापा नहीं गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन नहीं रहे हैं, मैं इसके विरोध में अपने दल के सभी सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री प्रमोद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन का बहिष्कार किया)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सुख साधन कर (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सुख साधन कर (द्वितीय) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापे नहीं गये ।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पिछड़े वर्गों के लिये राज्य आयोग अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

+ छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1994 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री राम आसरे वर्मा-

मान्यवर, आप व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इसलिये मैं सदन का बहिष्कार करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन से उठकर चले गये)

दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से दि इंडियन टोल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं।

+ छापे नहीं गये।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रीतम सिंह (देहरादून) आदि माननीय सदस्यों ने अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास किया जिससे सदन में घोर व्यधान उत्पन्न हो गया ।)

बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन और अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) और अनुपूरक उपबन्ध अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1995 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल, श्री प्रीतम सिंह (देहरादून), श्री राम विशुन आजाद यह कहते हुये सदन के फ्लोर पर आ गये कि यह सरकार किसान विरोधी, राज्य कर्मचारी विरोधी हो गई है, यह सरकार अल्पमत में आ गई है, इसको चलाने का कोई औचित्य नहीं है आप हम लोगों का व्यवस्था का प्रश्न सुन लें, पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के समक्ष जीने मरने की स्थिति आ गई है, यह अल्पमत की सरकार है ।)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आप व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । यह सरकार किसान, राज्य कर्मचारी व मजदूर विरोधी है । आज पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों के समक्ष जो संकट पैदा है उससे किसान त्राहि-त्राहि कर रहा है । आप प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था का प्रश्न सुन लें ।

+ छापे नहीं गये ।

श्री अध्यक्ष-

मैं आप लोगों को सुन लूंगा ।

(श्री अध्यक्ष के आश्वासन के बाद श्री नरेश अग्रवाल, श्री जगदम्बिका पाल, श्री राम विशुन आजाद एवं श्री प्रीतम सिंह (देहरादून) वेल से पुनः अपने आसन पर आ गये ।)

वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अक्टूबर, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित-

(1) विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3402/ग्यारह-9 (116)/94 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश-94, दिनांक 1 अक्टूबर, 1994,

(2) विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3403/ग्यारह-9 (116)/94 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश-94, दिनांक 1 अक्टूबर, 1994,

(3) विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3405/ग्यारह-9 (116)/94 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश-94, दिनांक 1 अक्टूबर, 1994, को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अक्टूबर, 1994 के असाधारण गजट में प्रकाशित-

(1) विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3404/ग्यारह-9 (116)/94 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश-94, दिनांक 1 अक्टूबर, 1994,

(2) विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3406/ग्यारह-9 (116)/94 उ0प्र0 अधि0-15-48 आदेश-94, दिनांक 1 अक्टूबर, 1994, को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-घ की उपधारा (8) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्त (व्यापार-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या व्या0क0-2-3389/ग्यारह-9(92)/94, उ0प्र0 अधि-15-48 नियम-1948-संशो0 (3) 1994, दिनांक 28 सितम्बर, 1994 के साथ प्रकाशित उत्तर प्रदेश व्यापार-कर (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1994 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

+ छापी नहीं गयीं ।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 में किये गये त्रुटियों के शोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत, किये गये त्रुटियों के शोधनों का विवरण-

विधेयक के खण्ड 5 द्वारा मूल अधिनियम में बढ़ाई जाने वाली नई धारा 32-ख की उपधारा (5) के द्वितीय परन्तुक की अन्तिम पंक्ति में शब्द "नकल जायेगी" के स्थान पर शब्द "नकल की जायेगी" रख दिया गया है।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 197 के खण्ड (1) के उपखण्ड (ख) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 के उप नियम (1) के अन्तर्गत घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल विधेयक, 1994 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित हुआ था और जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ दिनांक 25 अगस्त, 1994 को पारेषित किया गया था तथा जो उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 25 अगस्त, 1994 की बैठक में सदन की मेज पर रखा गया था, के तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी उक्त विधेयक अभी तक विधान सभा सचिवालय में वापस प्राप्त नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1994-95 का अनुपूरक) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 24 अगस्त, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का अठ्ठारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि एव ग्राम्य विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का उन्नीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का बीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का इक्कीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का बाइसवां अधिनियम बन गया ।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का तेईसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 23 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 30 अगस्त, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का चौबीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 25 अगस्त, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का पच्चीसवां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 24 अगस्त, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष

द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 अगस्त, 1994 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 3 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का छब्बीसवां अधिनियम बन गया।

रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994

सचिव, विधान सभा-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1994 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 21 अप्रैल, 1994 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपने दिनांक 25 अप्रैल, 1994 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 16 सितम्बर, 1994 को प्राप्त हो गई और वह सन् 1994 का उत्तर प्रदेश का सत्ताइसवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 33 व मद संख्या 34 में कोई सूचना नहीं है। मैं मद संख्या 35 ले रहा हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल व श्री जगदम्बिका पाल के पुनः खड़े होने पर व्यवधान)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31-1-95 की बैठक में सदन के दिनांक 1 फरवरी, 1995 से 8 फरवरी, 1995 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

(1) सदन का दिनांक 1 फरवरी, 1995 से 8 फरवरी, 1995 तक का तिथिवार कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाय :-

<u>फरवरी, 1995</u>

1 बुधवार	12.30 बजे अपराह्न (1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़कर सुनाया जाना। (2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि।
2 गुरुवार	निधन के निर्देश (प्रश्नकाल नहीं होगा।)
3 शुक्रवार	(1) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। <u>2-5.00 बजे अपराह्न</u> विधायी कार्य।

4 शनिवार
5 रविवार — बैठक नहीं होगी ।

6 सोमवार — 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
2-5.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण ।
(2) विधायी कार्य ।

7 मंगलवार — 1-वित्तीय वर्ष 1994-95 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार तथा मतदान और तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
2-4.00 बजे अपराह्न

(1) वित्तीय वर्ष 1995-96 का अन्तरिम आय-व्ययक तथा उसके एक भाग के लिये लेखानुदान का प्रस्तुतिकरण ।
(2) वित्तीय वर्ष 1995-96 के एक भाग के लिये लेखानुदान के प्रस्ताव पर मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
(3) श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।

8 बुधवार — 1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
2-5.00 बजे अपराह्न

विधायी कार्य ।

(2) दिनांक 2 फरवरी, 1995 को केवल निधन के निर्देश हों और प्रश्नकाल न रखा जाय तथा नियम 51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत कोई सूचनायें नहीं ली जायें ।

(3) दिनांक 3, 6, 7, व 8 फरवरी, 1995 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दिनों में नियम 56 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायें ।

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दी गई है, से सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 के पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नोटः- + दिनांक 17-2-95 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 +

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)-

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था)(संशोधन) विधेयक, 1995 को पुरःस्थापित करता हूं ।

प्रदेश में यूरिया खाद की कमी होने तथा संसदीय कार्य मंत्री द्वारा गैर जिम्मेदाराना बयान देने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री नरेश अग्रवाल-

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, एक ओर यह सरकार दलितों और किसानों की अपने को सरकार कहती है । हम सब का यह नैतिक कर्तव्य है कि जिसकी रक्षा के लिये इस सदन में आये हैं उनके हितों को ध्यान में रखें । श्रीमन्, आज पूरे प्रदेश में खाद की कमी है, डीजल का अभाव है और यह सरकार चोर बाजारियों के साथ मिल कर खाद की कालाबाजारी करवा रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह आज किस नियम के तहत बोल रहे हैं, आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री नरेश अग्रवाल-

मेरी बात सुन लीजिये ।

नोटः- + दिनांक 15-2-95 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष-

आप व्यवस्था के प्रश्न की बात कह रहे थे, व्यवस्था की बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये....

श्री अध्यक्ष-

यह बतायें कि इसमें व्यवस्था का प्रश्न उठाना कहां संगत है ? व्यवस्था की बात कहें ।

श्री नरेश अग्रवाल-

श्रीमन्, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने एक बयान दिया है कि खाद की कमी के लिये केन्द्र सरकार को ज़िम्मेदार बताया है । यह गैर जिम्मेदाराना बयान उनका है जिससे जाहिर होता है कि यह सरकार नहीं चला सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष-

यह किस व्यवस्था के अन्तर्गत आप बोल रहे हैं ?

श्री नरेश अग्रवाल-

आज पूरे प्रदेश में खाद की कमी के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है । माननीय मंत्री जी सदन में खड़े होकर कहें....

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । (व्यवधान) आज के एजेण्डा में यह कहां है ?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न में मेरी बात को भी जोड़ दिया जाय कि जबसे धारा 3/7 समाप्त की गई है तबसे इसके कारण अधिकारियों का खाद के व्यापारियों पर अंकुश नहीं रह गया है जिससे खाद ब्लैक में बेची जा रही है । सहकारिता और कृषि विभागों में सामंजस्य स्थापित न होने के कारण हर जिले में खाद की जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है । उत्तर प्रदेश में इन दोनों विभागों में मतभेद है । सहकारिता विभाग को खाद वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन यह जिम्मेदारी सहकारिता विभाग ने कृषि विभाग पर डाल दिया जिससे खाद का ठीक ढंग से किसानों को वितरण नहीं हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इसका आज कोई औचित्य नहीं है ।

श्री किरन पाल सिंह-

मान्यवर, मैं व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कोआपरेटिव सोसाइटीज चरमरा रही हैं । उनके पास आज खाद नहीं है

और यदि खाद है तो जब डाई खाद की जरूरत थी तो यूरिया खाद दी जा रही थी और आज जब यूरिया खाद की जरूरत है तो उन्हें डाई दी जा रही है। इसके अलावा खाद में मिलावट की जा रही है। इसलिये धारा 3/7 को समाप्त न किया जाय और उसे लागू किया जाय। आज व्यापारी खाद में मिलावट करके किसानों को बेच रहे हैं और 20-25 रुपये प्रति बैग ब्लैक में लेकर खाद बेच रहे हैं। इसलिये मेरी मांग है कि सहकारी समितियों पर अधिक से अधिक मात्रा में खाद पहुंचाई जाय। सहकारी संस्थाओं को खाद की रैक्स नहीं मिल पाती है, इसलिये मुख्यमंत्री जी रेलवे मंत्रालय से बात करके खाद के रैक्स सरकारी संस्थाओं को दिलवायें।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नरेश अग्रवाल, मा0 जगदम्बिका पाल और मा0 किरन पाल सिंह ने जो चिन्ता व्यक्त किया है किसानों के संबंध में उसे दूर करने के लिये सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। इसलिये हमने भारत सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि टेलीफोन से बात भी किया है और इसलिये माननीय कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री ने हमें आश्वस्त किया है कि उत्तर प्रदेश में यूरिया खाद की कमी नहीं होने दी जायेगी और मैं बताना चाहता हूं कि इस समय अब यूरिया खाद की कमी नहीं है।

जहां तक सहकारी समितियों तक खाद पहुंचाने का सवाल है तो आदेश कर दिया है कि सहकारी समितियों पर तत्काल यूरिया खाद पहुंचाई जाये। जहां तक धारा 3/7 को समाप्त करने का प्रश्न है तो हमने आदेश किया है और कार्यवाही भी किया है कि यदि किसानों की खाद में मिलावट पायी जायेगी तो धारा 3/7 को लगाकर कार्यवाही की जायेगी और इस प्रकार किसी भी कीमत पर किसानों को हम राहत देने में चूकेंगे नहीं और न तो खाद की कमी होने दी जायेगी तथा न खाद में मिलावट होने दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे (पूर्वाह्न) फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 5 मिनट पर गुरुवार 2 फरवरी, 1995 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

1 फरवरी, 1995

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0 एस0 यू0 पी0 एल0 327 एल0ए0 (527)-4-3-95-813 (ई0टी0)।